

अति आवश्यक



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक 1(14) ग्रा.वि./नरेगा/वेज/2010

जयपुर, दिनांक

20 MAR 2013

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान।

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट की मजदूरी दर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित मेट को वर्तमान में रूपये 142/- प्रतिदिन की दर से मजदूरी देय है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2013 से अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि कर रूपये 133/- से बढ़ाकर रूपये 149/- किये जाने के फलस्वरूप योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2013 से मेट की मजदूरी दर रूपये 142/- से बढ़ाकर रूपये 159/- की जाती है।

उक्त आदेश दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी होंगे।

भवदीय

(खजान सिंह)

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जिला परिषद, जयपुर/जोधपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस), जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. सलाहकार आई.ई.सी. ईजीएस, मुख्यालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस बाबत प्रेस विज्ञप्ति जारी करावे।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
9. श्री रिकू छीपा, एमआईएस मैनेजर को मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस